5.6.17 पत्रावली राजस्थान लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र - ग्राम पंचायत दारवां में पेश हुई। वकील प्रार्थी/उप./ विपक्षीगण के नोटिस शामिल मिसल है। विपक्षी नं. 5 के नोटिस पर फोटोग्राफी रिपोर्ट का अंकन है। शेष विपक्षीगण के नोटिस तामील शुदा मे है। जो बावजूद सूचना अनुपस्थित है। वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र - विपक्षी नं. 5 के फौत होने पर नाम हटाने बाबत पेश की गई। जो स्वीकार की जाकर विपक्षी नं. 5 का नाम आवेदन से हटाया जाता है। वकील प्रार्थी की आवेदन पर अंतिम बहस सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

S.K. Sonal

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र दांखा)

पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.22 / 2017

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
सोनाराम पुत्र केहनाराम जाति जाट निवासी गोलिया महेसान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।		1.उदाराम पुत्र पीराराम जाति कुम्हार निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी 2.बाबूलाल पुत्र दुर्गाराम 3.पुरखाराम पुत्र दुर्गाराम 4.गवरी पत्नि दुर्गाराम 5.आदाराम पुत्र हेमाराम 6.वीराराम पुत्र हेमाराम 7.बुधा उर्फ बदाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी गोलिया महेचान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थित–

1.श्री दलाराम चौधरी–अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2.एकरतफा–विप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश

दिनांक– 5.6.17

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम **गोलिया महेचान** पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 318 रकबा 06 बिस्वा,खसरा नम्बर 296 / 1 रकबा 18–09 बीधा व खसरा नम्बर 319 रकबा 15–17 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम **गोलिया महेचान** पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 318 रकबा 06 बिस्वा,खसरा नम्बर 296/1 रकबा 18–09 बीधा व खसरा नम्बर 319 रकबा 15–17 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्राथीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम **गोलिया महेचान** पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 318 रकबा 06 बिस्वा,खसरा नम्बर 296/1 रकबा 18–09 बीधा व खसरा नम्बर 319 रकबा 15–17 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम **गोलिया महेचान** पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 318 रकबा 06 बिस्वा,खसरा नम्बर 296/1 रकबा 18–09 बीधा व खसरा नम्बर 319 रकबा 15–17 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करने के आदेश फरमावे।

4.हमने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम **गोलिया महेचान** पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 318 रकबा 06

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

बेस्वा,खसरा नम्बर 296/1 रकबा 18–09 बीधा व खसरा नम्बर 319 रकबा 15–17 बीधा भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2069 से 2072 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. **लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम गोलिया महेचान पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 318 रकबा 06 बिस्वा,खसरा नम्बर 296/1 रकबा 18–09 बीधा व खसरा नम्बर 319 रकबा 15–17 बीधा भूमि के सबंध मे सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करे।** सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थी द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

०5/6/12

(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 05/6/12 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

05/6/12

(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner